भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1779

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 25 नवंबर, 2016/4 अग्रहायण, 1938 (शक) को दिया गया)

<u>पारिवारिक कारपोरेट मामले</u>

1779. श्री लक्ष्मण गिलुवाः

श्री प्रतापराव जाधवः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अनेक पारिवारिक कारपोरेट मामले कई वर्षों से लंबित है और उन्हें सुलझाया नहीं गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आज की तारीख अनुसार ऐसे लंबित मामलों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे मामलों को सुलझाने वाली एजेंसियों के कार्य की समीक्षा की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख): दो या अधिक कारपोरेट या उनके प्रवर्तकों या प्रवर्तकों के पारस्परिक झगड़े से संबंधित कारपोरेट मामलों का निपटारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 408 के तहत स्थापित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) द्वारा किया जाता है। इसका संचालन 01 जून, 2016 से प्रारंभ हुआ है। इसकी नई दिल्ली स्थित दो खंडपीठों (जिनमें से एक प्रधान खंडपीठ है) सहित विभिन्न शहरों में 11 खंडपीठ हैं। पहले ऐसे झगड़ों का निपटारा कंपनी विधि बोर्ड द्वारा किया जाता था।

(ग): एनसीएलटी की स्थापना कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत किया गया और यह अधिनियमों के अनुसार कार्य करता है।

(घ): भाग (ग) के उपरोक्त उत्तर को देखते हुए यह लागू नहीं होता है।

*****